रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1976/अग्रहायण 20, 1898

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1976/AGRAHAYANA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1976

सा०का०नि० 1721.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (जन सम्पर्क अधिकारी) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गए अनुसार होगा।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये गये अनुसार होंगे —

परन्तु उक्त अनुसूची के कालम 6 में उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1976

सा० का० नि० 1736 — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति दूरदर्शन में डिस्पैच राइडर के पदों की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को दूरदर्शन (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियमावली 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम 3 से 5 में दिये अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य सम्बन्धित मामले उक्त अनुसूची के कालम 6 से 14 तक में दिये अनुसार होंगे।

4 अनर्हताएं : (क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने का अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा, किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों या पदों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. अपवाद :—इन नियमों की किसी बात का, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिस्पैच राइडर	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग'	260-6-326-द०रो०-8-350 रुपये	लागू नहीं होता	23 और 30 वर्ष के बीच	आवश्यक : मोटर साइकिल स्कूटर चलाने का विधिमान्य लाइसेंस रखता हो तथा स्कूटर/मोटर साइकिल चलाने का कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो। वांछनीय : 8वीं कक्षा पास हो।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13	14
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—हां	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	मोटर साइकिल/स्कूटर चलाने से आवश्यक समझी जाने वाली दक्षता के स्तर की जांच करने के उद्देश्य से चालन (ड्राइविंग) में लिए गए टैस्ट के परिणाम के आधार पर कालम 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले दूर दर्शन के केन्द्रों के वर्ग 'घ' के कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 501/4/76-टी०वी०]

राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, 8th November, 1976

G. S. R. 1736.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Riders in Doordarshan, namely :—

1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the Doordarshan (Despatch Riders) Recruitment Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay .– The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, Age limit and other Qualifications : The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications .—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule,

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that is is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection posts or Non-Selection Posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for the direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Despatch Riders	Two	General Central Service, Group 'C'	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Not applicable	Between 23 to 30 years	Essential : Possession of valid driving licence for Motor cycle/Scooter an experience of driving Scooter/Motor Cycle for at least 3 years. Desirable : Should have Passed Middle School Exam.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades which promotion/deputation/transfer to be made	If DPC exists, what is its compositions	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age — No Educational Qualifications — Yes	2 years	100% by transfer failing which by direct recruitment.	By transfer from amongst Group 'D' employees of the Kendras of Doordarshan who possess the qualifications specified in column 8 on the basis of a test in driving designed to ajdudge the standard of competence considered essential in driving of Motor Cycle/Scooter.	Not applicable	Not applicable

[No. 501/4/76—TV]

R. K. GUPTA, Under Secy.